

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला शहडोल (म.प्र.)

म.प्र. शासन, लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, शहडोल (म.प्र.)

-- आवेदक

बनाम

म.प्र. शासन

-- अनावेदक

आदेश

(आज दिनांक 23 / फरवरी / 2022 को पारित)

म.प्र. शासन, लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, शहडोल (म.प्र.) द्वारा पत्र क्र. 2337/तकनीकी/2021-22 दिनांक 06.07.2021 एवं आनलाइन आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर कोडार-बरदउहा मार्ग लं. 5.70 किमी हेतु 2.706 हे., मोहतरा-हराटोला मार्ग लं. 5.00 किमी हे. 1.900 हे. तथा सरना-विशनपुरवा मार्ग लं. 6.60 किमी हेतु 4.768 हे. कुल 9.734 हे. वन भूमि के बदले ग्राम खम्हरिया, तहसील जैतपुर के खसरा क्र. 986 रकबा 16.050 हे. के अंश रकबा 8.000 हे. एवं खसरा क्रमांक 987/1 रकबा 26.912 हे. के अंश रकबा 10.748 हे. कुल 02 किता कुल रकबा 18.748 हे. भूमि वन विभाग को हस्तांतरित किये जाने का अनुरोध किया गया। उक्त संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (रा.) जैतपुर से प्रस्ताव प्राप्त किया गया।

2- अनुविभागीय अधिकारी (रा.) जैतपुर से रा.प्र.क्र. 0002/अ-19(3)/2021-22 से प्रस्ताव प्राप्त। अवलोकन किया। अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सोहागपुर द्वारा उक्त संबंध में तहसीलदार, जैतपुर से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। प्रतिवेदित किया गया कि कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) शहडोल संभाग, शहडोल द्वारा पत्र क्रमांक - 2337/तकनीकी/2021-22 दिनांक 06.07.2021 के द्वारा 18.748 हे. भूमि को दक्षिण वनमण्डल शहडोल को हस्तांतरित किये जाने का अनुरोध किया गया। उक्त पत्र में लेख किया गया कि कोडार-बरदउहा मार्ग लं. 5.70 किमी हेतु 2.706 हे., मोहतरा-हराटोला मार्ग लं. 5.00 किमी हे. 1.900 हे. तथा सरना-विशनपुरवा मार्ग लं. 6.60 किमी हेतु 4.768 हे. कुल 9.734 हे. वन भूमि के बदले ग्राम पैरीबहरा, तहसील जैतपुर स्थित भूमि खसरा क्र. 848/1 रकबा 14.103 हे., 848/2 रकबा 4.704 हे. कुल 33.060 हे. राजस्व भूमि में से लो.नि.वि. संभाग शहडोल के सड़क योजना हेतु कुल 9.374 हे. राजस्व भूमि दक्षिण वनमण्डल शहडोल के पक्ष में हस्तांतरित करने हेतु लेख किया गया। वन विभाग द्वारा अवगत

कराया गया कि भूमि यदि झुड़पी जंगल मद में दर्ज है ऐसी स्थिति में राजस्व भूमि की दोगुनी झुड़पी जंगल भूमि उपलब्ध कराया जाये। अतः 18.748 हे. भूमि उपलब्ध कराये जाना का अनुरोध किया गया। उक्त संबंध में ग्राम खम्हरिया, तहसील जैतपुर स्थित भूमि खसरा क्र. 986 रकबा 16.050 हे. के अंश रकबा 8.000 हे. खसरा क्रमांक 987/1 रकबा 26.912 हे. के अंश रकबा 10.748 हे. कुल 18.748 हे. चयनित की गयी। भूमि चयन उपरांत इश्तेहार का प्रकाशन कराया गया, कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। ग्राम पंचायत का अभिमत प्रस्ताव प्राप्त किया गया। उक्त भूमि निस्तार की भूमि नहीं है। भूमि विवादरहित है। मौके पर किसी व्यक्ति का कब्जा दखल नहीं है। अनुविभागीय अधिकारी (रा.) जैतपुर द्वारा ग्राम खम्हरिया, तहसील जैतपुर की भूमि खसरा क्रमांक 986 रकबा 16.050 हे. के अंश रकबा 8.000 हे. खसरा क्रमांक 987/1 रकबा 26.912 हे. के अंश रकबा 10.748 हे. कुल 18.748 हे. वन मण्डलाधिकारी, दक्षिण वनमण्डल के पक्ष में हस्तांतरित करने की अनुशंसा की गयी है। साथ ही पूर्व में ग्राम पैरीबहरा की भूमि खसरा क्र. 848/2 रकबा 18.957 हे. के अंश रकबा 9.374 हे. भूमि आवंटन का प्रस्ताव निरस्त किये जाने अनुरोध किया गया।

3- अनुविभागीय अधिकारी (रा.) जैतपुर से प्राप्त प्रस्ताव जिला नजूल निर्वतन समिति के समक्ष विचारार्थ रखा गया। जिला नजूल निर्वतन समिति द्वारा बैठक दिनांक 11.02.2022 में अनुविभागीय अधिकारी (रा.) जैतपुर से प्राप्त उपरोक्त प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार करते हुये ग्राम खम्हरिया, तहसील जैतपुर स्थित शासकीय भूमि खसरा क्र. 986 रकबा 16.050 हे. के अंश रकबा 8.000 हे. खसरा क्रमांक 987/1 रकबा 26.912 हे. के अंश रकबा 10.748 हे. कुल रकबा 18.748 हे. को सड़क निर्माण कार्य में प्रभावित वनभूमि के बदले वन विभाग वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित किये जाने किये जाने की अनुशंसा की गयी।

अतः तहसीलदार, तहसील जैतपुर एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) जैतपुर के प्रस्ताव के अनुसार ग्राम खम्हरिया, तहसील जैतपुर की भूमि आराजी खसरा क्रमांक 986 रकबा 16.050 हे. के अंश रकबा 8.000 हे. खसरा क्रमांक 987/1 रकबा 26.912 हे. के अंश रकबा 10.748 हे. कुल रकबा 18.748 हे. को सड़क निर्माण में प्रभावित वन भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। अनुविभागीय अधिकारी, जैतपुर उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेखों में दर्ज करते हुये वन विभाग को कब्जा सौंपने हेतु नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

15/04/22
कलेक्टर,
जिला शहडोल (म.प्र.)
(मध्य प्रदेश)

पृ.प्रकरण क्रमांक 0026/अ-20(3)/2021-22/

शहडोल दिनांक फरवरी, 2022

प्रतिलिपि :-

- 1- वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण वनमण्डल, जिला शहडोल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- अनुविभागीय अधिकारी (रा.) जैतपुर, जिला शहडोल (म.प्र.) की ओर उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 3- कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स), जिला शहडोल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

4
वॉ
कलेक्टर
जिला शहडोल (म.प्र.)
(मध्यप्रदेश)